मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन

प्रधान कार्यालय (आफिस काम्पलेक्स, ब्लॉक 'ए' गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक / मप्रवेलाका / लेखा–आडिट / 2019 / 6756 भोपाल, दिनांक 15 JAN 2019

अभिरूचि की अभिव्यक्ति चार्टर्ड एकाउन्टेंटस्

मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, वेयरहाउसिंग कार्पो0 एक्ट–1962 के तहत् गठित एक निगम है । निगम वित्तीय वर्ष 2018–19 तथा आगामी दो वर्षो के लिए समस्त शाखाओं एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का वार्षिक आंतरिक अंकेक्षण एवं स्कंध के भौतिक सत्यापन के कार्य हेतु न्यूनतम 5 वर्षो का पोस्ट क्वालिफिकेशन अनुभव रखने वाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म्स जिसमें एक सदस्य एफ.सी.ए. होना अनिवार्य है की नियुक्ति के पैनल का संधारण किया जाना है। उक्त कार्य करने के इच्छुक एकाउन्टेन्ट्स फर्म्स अधिकतम दिनांक 15.02.2019 तक अपना प्रस्ताव निगम मुख्यालय के लेखा–आडिट शाखा में प्रस्तुत करें । जिनके द्वारा पूर्व में ही अपने बायोडाटा प्रस्तुत किए है वे भी अपनी जानकारी अद्यतन कर पुनः बायोडाटा प्रस्तुत करें । संधारित पैनल में से आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति करने पर विचार किया जायेगा। विस्तृत विवरण यथा भुगतान की जाने वाली अंकेक्षण शुल्क आदि की जानकारी निगम की वेबसाईट www.mpwarehousing.com पर उपलब्ध है।

कार्यपालन संचालक (वित्त / लेखा)

वर्ष 2018-19 में वेयरहाउस शाखाओं का आंतरिक अंकेक्षण कार्य संपादित किया जाना है ।

अंकेक्षण कार्य संपादन के लिए अंकेक्षण प्राफार्मा की एक छायाप्रति नमूने के तौर पर संलग्न की गई है एवं यह फार्म http://mpsc.mp.in/warehouse/audit/inspection login.aspx or useful information Ankeshan Prativedan (Audit) Form पर उपलब्ध है । कृपया शाखाओं के समक्ष दी गई तिथि तक आंतरिक अंकेक्षण कार्य संपादित कर प्रतिवेदन की एक प्रति संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक एवं शाखा प्रबंधक को अनुपालन कार्यवाही के लिए तथा एक प्रति मुख्यालय सूचनार्थ प्रेषित की जाना है ।

1– शाखा पर संग्रहित स्कंध का पूर्ण भौतिक सत्यापन किया जाना है ।

2– इम्प्रेस्ट के तहत् किये गये भुगतान की पूर्ण जॉच की जावें ।

3– धन राशि के संग्रहण एवं हस्तांतरण नियमानुसार किया गया है अथवा नहीं इसकी जॉच की जावें ।

4– टीडीएस का नियमानुसार कटोत्रा एवं राशि नियमानुसार जमा की गई है अथवा नही ? आयकर विवरणिका को निर्धारित अवधि में जमा किया गया है अथवा नहीं इसकी जॉच की जावे ।

5– जमाकर्ताओं द्वारा जो राशि टीडीएस के तहत् काटी गई है वह राशि 26 ए.एस. में प्रदर्शित हो रही है अथवा नहीं ?

6– जे.व्ही.एस. के अंतर्गत लिए गए गोदामों का अनुबंध नियमानुसार निधारित किये गये है अथवा नहीं ?

7– वेअरहाउस चार्जेज के देयक समय पर प्रस्तुत किये जा रहे है अथवा नहीं ? वसूली की स्थिति सही दर्शायी जा रही है अथवा नहीं ?

8– जे.व्ही.एस. के तहत् लिए गए गोदामों का भुगतान नियमानुसार निरंतर आरटीजीएस के माध्यम से किया जा रहा है अथवा नहीं ?

9– जमा स्कंध की गुणवत्ता एवं मात्रा का भी पूर्ण 100 प्रतिशत परीक्षण किया जावें ।

10– कन्टेंजेंसी के तहत् लेबर चार्जज का भुगतान नियमानुसार बैंक के माध्यम से किया जा रहा है अथवा नहीं ?

11– अंकेक्षण शुल्क का विवरण –

क्रमांक	विवरण	अंकेक्षण शुल्क
1	10000 मे.टन तक क्षमता हेतु	रू. 5000 + सर्विस टैक्स
2	10000 से 20000 मे.टन तक क्षमता हेतु	रू.. 8000 + सर्विस टैक्स
3	20000 मे.टन क्षमता से अधिक हेतु	रू. 10000 + सर्विस टैक्स
4	क्षेत्रीय कार्यालय के अंकेक्षण हेतु	रू. 10000 + सर्विस टैक्स

.........2

पूर्व निर्धारित दरों के अतिरिक्त सनदी लेखाकारों को प्रथम श्रेणी में यात्रा की सुविधा तथा आर्टिकल्स हेतु सामान्य श्रेणी में यात्रा की सुविधा निधारित है । इसी प्रकार प्रतिदिन लॉजिंग हेतु सनदी लेखाकारों को रू. 1000/– तथा आर्टिकल्स हेतु रू. 500/– प्रदान किया जाना निर्धारित है । टैक्सी से यात्रा करने पर रू. 6/– प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाना निधारित है ।

कार्यपालिक संचालक(लेखा/अंकेक्षण)

नोट :- निगम द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कोई निर्धारित प्रारूप निर्धारित नही किया गया है । सी. ए. फर्म अपना बायोडाटा (समस्त जानकारियों सहित प्रस्ताव) प्रस्तुत करे ।